संख्या-3/2018/054/18-2-2018-80(ल0उ0)/2017

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 29 जनवरी, 2018

विषय- उ0प्र0 के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा आपूर्तित सामग्री व प्रदत्त की गयी सेवाओं के सापेक्ष लम्बित देयकों के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का देश के साथ-साथ प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, इन उद्यमों द्वारा निर्मित सामग्री से विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, साथ ही इन उद्यमों द्वारा बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन होता है। शासन के संज्ञान में आया है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमोंद्वारा आपूर्तित सामग्री/सेवाओं के सापेक्ष देयकों का भुगतान या तो नहीं हो पाता है या किन्हीं कारणों से विलम्ब से होता है, जिससे इनके विकास व रोजगार सृजन की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा बृहद एवं मल्टीनेशनल कम्पनियों की उच्च प्रतिस्पर्धा, कार्यशील पूंजी की कमी एवं बैंकों के ब्याज आदि की समस्याओं से जूझ रहे आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) के संबंध में बायर (क्रेता) द्वारा रोके गये भुगतान (डिलेड पेमेंट) विषयक विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष केन्द्रीय अधिनियम (एमएसएमईडी एक्ट-2006) की धारा-15 से 23 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों द्वारा आपूर्तित सामग्री/सेवाओं का समय से भुगतान कराने एवं भुगतान न करने की दशा में कार्यवाही की व्यवस्था है। अधिनियम-2006 की धारा-22 में यह भी प्राविधान है कि क्रेता द्वारा अपने वार्षिक आडिट लेखे में वर्ष में सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को भुगतान की गयी मूल धनराशि एवं ब्याज की धनराशि तथा ऐसी बकाया धनराशि एवं देय बकाया ब्याज की धनराशि के विवरण का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

2- इस प्रकार के लम्बित देयकों के भुगतान हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 (27 ऑफ 2006) के अन्तर्गत अन्य प्रदेशों की तरह उत्तर प्रदेश में भी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फैसिलीटेशन काउन्सिल वर्ष 2007 से उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर में स्थापित है, जो विलम्बित भुगतानों पर धारा-16 के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित भुगतान का विधिक आदेश (एवार्ड) देने के लिए प्राधिकृत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है:अत,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा आपूर्तित सामग्री के सापेक्ष देयकों का समय भुगतान कराने एवं एमएसएमई एक्ट-2006 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने विभाग के अधीनस्थ समस्त विभागों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों /उपक्रमों आदि में आमंत्रित की जाने वाली निविदा शर्तों में उक्त एक्ट के अनुसार 45 दिनों के अन्दर भुगतान कराने के प्राविधानों का उल्लेख सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-3/2018/054/18-2-2018-80(ल0उ0)/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय तथा आडिट, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत:इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।